(336)

(31)

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

3554(10)
15.9.06

सभी आयुक्त एवं सचिव

सभी विभागीय सचिव

निदेशक, रिम्स

अधीक्षक, पी0 एम0 सी0 एच0 धनबाद

अधीक्षक, एम0 जी0 एम0 कालेज एवं अस्पताल, जमशेदपुर

अध्यक्ष राज्य चिकित्सा पर्षद

विषय :– राज्य सरकार के सेवी वर्ग की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के संबन्ध में प्रक्रिया का निरूपण ।

महाशय ,

उपर्युक्त संबध में मुझे कहना है कि वित्त विभाग के प0 संख्या:– प्र0–9 विविध –07 / 2003–261 दिनांक 29–01–2004 के द्वारा राज्य सरकार के सेवी वर्ग की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के संबंध में विकेन्द्रीकृत व्यवस्था निरूपित करते हुए चिकित्सा की अनुमति, अग्रिम की स्वीकृति एवं प्रतिपूर्ति की स्वीकृति की शंक्तियॉ अब संबंधित् प्रशासी विभाग को प्रत्यायोजित की गई हैं । इसमें सन्निहित सभी व्यय भार का वहन सेवी के स्थापना शीर्ष से ही किया जाना है ।

2. उक्त परिपत्र के कंडिका 'क' में स्वास्थ्य विभाग से यह अपेक्षा की गई है कि किन किन रोगों की चिकित्सा किस किस चिकित्सा संस्थानों में कराने पर चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के लिए अनुमान्य होगा। इसे निरूपित किया जाए । तदनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य सरकार के सभी सेवी वर्ग एवं उनके आश्रितों को राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में कराई गई सभी रोगों की अन्तर्वासी चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमान्य है । प्रतिपूर्ति हेतु चिकित्सा संस्थान प्रमुख द्वारा अभिश्रवों पर प्रति हस्ताक्षर आवश्यक है । उपचार नियमावली के प्रावधानों का संदर्भ लेते हुए जिन रोगों की चिकित्सा राज्य सरकार के सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है वैसे सरकारी कर्मी के लिए संबधित् प्रशासी विभाग राज्य चिकित्सा परिषद की अनुशंसा प्राप्त कर (राज्य के किसी मेडिकल कालेज के रोग से संबंधित सह प्राध्यापक से अन्यून की अनुशंसा पत्र पर) निम्नांकित संस्थानों में चिकित्सा कराने की अनुमति तथा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं ।

i– अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ,नई दिल्ली ।

ii– क्रिश्चन मेडिकल कॉलेज, भेल्लोर

iii– पी0 जी0 आई0 , चण्डीगढ़

iv– एस0 जी0 पी0 जी0 आई0, लखनऊ

354(व)
15.9.06

v– टी0 एम0 एच0 ,मुम्बई

vi– शंकर नेत्रालय चिन्नई

vii– अपोलो अस्पताल इरबा, रांची–(हृदय रोग एवं गुर्दा रोग के लिए)

Viii– मेहरबाई टाटा मेमोरियल अस्पताल, जमशेदपुर (कैंसर चिकित्सा हेतु)

3. इन चिकित्सा संस्थानों के अलावे राज्य चिकित्सा परिषद की अनुशंसा पर राज्य से बाहर चिकित्सा संस्थानों में कराई गई चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान , नई दिल्ली के दर पर सीमित कर की जाएगी । गंभीर हृदयाघात, आकस्मिक दुर्घटना तथा त्वरित फैलने वाले कैंसर रोगों को छोड़कर किसी भी तरह की स्वयं कराई गई चिकित्सा के लिए घटनोत्तर स्वीकृति राज्य चिकित्सा पर्षद द्वारा नहीं दी जाएगी । चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावों को स्वा0 विभाग को भेजने के पूर्व विभागीय स्वीकृति आवश्यक होगी । दन्त चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति अनुमान्य नहीं है तथा इसके लिए यात्रा भत्ता भी देय नहीं होगी । निजी वर्ड का शुल्क, भोजनादि, डिसपोजेबल सभी सामग्रियों, विटामिन आदि पर व्यय की गई राशि प्रतिपूर्ति के लिए अनुमान्य नहीं है ।

4. अनुशंसा:– जिन असाध्य रोगों की चिकित्सा राज्य सरकार के चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध नहीं हो मात्र उन्ही रोगों के लिए राज्य से बाहर चिकित्सा के लिए राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा अनुशंसा की जाएगी ।

5. राज्य के वैसे निजी अस्पताल जिन्हें समय–समय स्वास्थ्य विभाग द्वारा अंतर्वासी चिकित्सा हेतु अधिकृत किया गया है और पूर्व में राज्य चिकित्सा पर्षद की अनुशंसा प्राप्त हो को छोड़ कर निजी चिकित्सा संस्थानों में स्वेच्छा से कराई गई चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमान्य नहीं होगी ।

6. हृदय की शल्य चिकित्सा एवं गुर्दा प्रत्यारोपण के बाद संबंधित चिकित्सा संस्थान में होने वाली वहिर्वासी चिकित्सा के क्रम में क्रय की जाने वाली औषधियों एवं जॉच पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी परन्तु हृदय की शल्य चिकित्सा एवं गुर्दा प्रत्यारोपण के पूर्व हुई वहिर्वासी चिकित्सा अथवा राज्य से बाहर अन्य रोगों की वहिर्वासी चिकित्सा के मामले में सिर्फ यात्रा भत्ता की प्रतिपूर्ति नियमानुसार की जाएगी । हृदय एवं किडनी की शल्य क्रिया से पूर्व क्रय की गई दवा एवं जॉच के व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की जायगी । पूर्वानुमति के मामले में कैंसर, यक्षमा एवं कुष्ठ रोग की वहिर्वासी चिकित्सा के वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

7. अपोलो अस्पताल इरबा, रांची में केवल हृदय रोग एवं किडनी रोग की चिकित्सा को व्यय प्रतिपूर्ति अनुमान्य है तथा इसके लिए राज्य मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा के पश्चात् प्रशासी विभाग की स्वीकृत्यादेश आवश्यक है।

8. चिकित्सा के लिए संबंधित् विभाग राज्य मेडिकल बोर्ड से अनुशंसा प्राप्त कर संबंधित् मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान के प्राक्कलन के आधार पर अधिकतम 80% राशि अग्रिम के रूप में स्वीकृत कर

335

35401
15.9.06

30

करेंगें । चिकित्सा अग्रिम की राशि के व्यय का वहन संबंधित पदाधिकारी/ कर्मचारी के वेतन शीर्ष से ही किया जाएगा । अग्रिम प्राप्त होने पर एक माह के अन्दर चिकित्सा नहीं करायी जाती है तो अग्रिम की राशि 12% व्याज के साथ वापस लौटानी होगी । छः माह के अन्दर प्राप्त चिकित्सा अग्रिम का समायोजन नहीं कराया जाता है तो अग्रिम की राशि 12% व्याज सहित वसूल करने के लिए नियंत्री पदा0 सक्षम होगें ।

9. वित्त विभाग के पत्रांक 260/वि0 दि0 29.1.2004 के परामर्श के आलोक में प्रशासी विभाग अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों /कर्मचारियों को पूर्वके 5000/– (पांच हजार) रूपये तक की सरकारी अस्पतालों में कराई गई अन्तर्वासी चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति की अधिसीमाके विरूद्ध अब 10,000/–(दस हजार) रूपये तक के व्यय की प्रतिपूर्ति स्वीकृत कर सकते है ।

10. राज्य के बाहर चिकित्सा के क्रम में यात्रा के लिए संबंधित पदाधिकारियों/ कर्मचारियों को सिर्फ रेल भाड़ा अधिकतम वातानुकूलित टू टीयर , थ्री टायर में यात्रा भत्ता स्वीकृत किया जाएगा बशर्ते वास्तव में यात्रा उसी अनुमान्य श्रेणी में की गई हो । इस यात्रा के लिए रोड माइलेज ईन्सीडेन्टल चार्ज विश्राम भत्ता देय नहीं होगा । वायुयान अथवा प्रथम श्रेणी में यात्रा अनुमान्य नहीं होगा । विशेष परिस्थिति में वायुयान यात्रा के लिए वित्त विभाग से सहमति प्राप्त कर प्रशासी विभाग स्वीकृत्यादेश निर्गत कर सकेगें ।

11. प्रशासी विभाग अपने कर्मियों के चिकित्सा के स्वीकृति प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार से सहमति लेकर तथा विभागीय सचिव / विभागध्यक्ष द्वारा अनुमोदन प्रप्त कर चिकित्सा हेतु स्वीकृत्यादेश निर्गत करेगें । प्रशासी विभाग चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के पूर्व चिकित्सा में व्यय हुई राशि का आकलन करते हुए संचिका स्वा0 विभाग को भेजेगा जहॉ विभागीय सचिव अभिश्रवों/यात्रा विपत्रों की जॉच कराकर एवं विशेष कार्य पदाधिकारी का प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करते हुए प्रशासी विभाग को प्रस्ताव की संचिका वापस करेगें प्रत्येक चेकअप के पूर्व विभागीय स्वीकृति आवश्यक होगी । राज्य मेडिकल बोर्ड द्वारा अनुशंसा के पश्चात तीन बार तक चेकअप /चिकित्सा की विभागीय स्वीकृति प्राप्त की जा सकती है । इसके बाद भी आवश्यकता पड़ने पर राज्य मेडिकल बोर्ड द्वारा पुनः अनुशंसा अपेक्षित होगा ।

मानक स्वीकृत्यादेश प्रारूप मे अन्य शर्तें यथावत रहेगी । अतः अनुरोध है कि वित्त विभाग के प्रसंगाधीन परिपत्र के आलोक मे अब चिकित्सा प्रतिपूर्ति मामले में विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया के अनुसार प्रशासी विभाग के स्तर से ही कार्रवाई सुनिश्चित की जाए । पत्र निर्गत की तिथि से यह व्यवस्था लागू की जाती है ।

विश्वासभाजन

सरकार के सचिव
14/9/06

M.Z.Zahid/D.D.A-06/09/06

(29)

झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग

प्र0-9/विविध-07/2003 260/वि0 दिनांक :- 29.01.2004.

राहुल सरीन,
आयुक्त एवं सचिव ।

वा में,

सचिव,
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग,
झारखण्ड, रांची ।

विषय : राज्य सरकार के सेवा वर्ग की चिकित्सा की प्रतिपूर्त्ति के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय से संबंधित स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के ज्ञापांक-4286(24) दिनांक-11.12.99 द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्त्ति के 5000/-रू0 से ऊपर के मामलों में वित्त विभाग के परामर्श से राज्यादेश निर्गत किये जाने का प्रावधान है । उक्त प्रक्रिया की समीक्षा वित्त विभाग में की गई । समीक्षोपरान्त् यह पाया गया कि उक्त अधिसीमा को 5000/-रू0 से बढ़ाकर 10,000/-रू0 किया जाना उचित प्रतीत होता है । इसके अतिरिक्त जिस परिपत्र में चिकित्सा हेतु अनुमति संसूचित की जाती है उसमें प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी द्वारा रेल भाड़ा देय होने का उल्लेख होता है । वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में ज्यादातर ट्रेनों में प्रथम श्रेणी नहीं है, अतएव वातानुकूलित टू टायर अथवा थ्री टायर, जैसा अनुमान्य हो, में यात्रा अनुमान्य की जा सकती है । वायुयान अथवा प्रथम श्रेणी में यात्रा अनुमान्य नहीं होगी । अगर किसी परिस्थितिवश वायुयान या प्रथम श्रेणी में यात्रा की जाती है तो वित्त विभाग के अनुमोदन के पश्चात् ही आदेश निर्गत किया जाना उपयुक्त होगा ।

उपरोक्त प्रस्ताव पर वित्त मंत्री का अनुमोदन गैर सरकारी प्रेषण सं0-109 दिनांक-27.01.2004 द्वारा प्राप्त कर लिया गया है । प्रस्ताव एवं अनुमोदन की छाया प्रति संलग्न की जा रही है ।

अनुरोध है कि उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में, वित्त विभाग के परामर्श के आलोक में इस प्रस्ताव की समीक्षा कर आगे की आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय । साथ ही कृत कार्रवाई से वित्त विभाग को सूचित किया जाए ।

विश्वासभाजन

29.1.04

(राहुल सरीन)
आयुक्त एवं सचिव,
वित्त विभाग, झारखण्ड, रांची

अनुलग्नक : यथोक्त ।

पत्रांक : 13/स्था0 (चि0 प्रति0)–1-14/2014 – 56(13)

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

प्रेषक:

बी0 के0 त्रिपाठी
सरकार के प्रधान सचिव,

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव
सभी विभागीय सचिव
निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड
निदेशक, रिम्स, राँची
अधीक्षक, पी0 एम0 सी0 एच0, धनबाद
अधीक्षक, एम0 जी0 एम0 मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जमशेदपुर
सचिव झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची
अध्यक्ष, राज्य चिकित्सा परिषद, रिम्स, राँची।

राँची, दिनांक– 22-02-2014

विषय: राज्य सरकार के सेवी वर्ग की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के संबंध में स्वास्थ्य विभागीय परिपत्र संख्या 354(10) दिनांक 15.09.2006 द्वारा निरूपित प्रक्रिया के कंडिका दो में सूचीबद्ध चिकित्सा संस्थान के अतिरिक्त अन्य 21 चिकित्सा संस्थानो को सूचिबद्ध करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के क्रम में मुझे कहना है कि स्वास्थ्य विभागीय परिपत्र संख्या–354 (10) दिनांक 15.09.2006 की कंडिका दो में राज्य सरकार के सेवी वर्ग को चिकित्सा कराने की अनुमति तथा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु आठ चिकित्सा संस्थान सूचीबद्ध है। दूरस्थ एवं सीमित चिकित्सा संस्थान सूचीबद्ध रहने के कारण राज्य सरकार के सेवी वर्ग द्वारा आपातिक स्थिति में राज्य के अन्दर एवं बाहर अन्य चिकित्सा संस्थानो में चिकित्सा कराने के बाद उनके चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति में कई व्यवहारिक कठिनाईयाँ प्रकाश में आई है, जिस कारण सुलभ एवं बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उपर्युक्त परिपत्र की कंडिका दो में सूचीबद्ध चिकित्सा संस्थानों के अतिरिक्त अन्य चिकित्सा संस्थानो को सूचीबद्ध करने का मामला राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

2. सम्यक् विचारोपरांत राज्य के सेवी वर्ग की चिकित्सा सुविधा की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए परिपत्र के कंडिका दो में सूचीबद्ध चिकित्सा संस्थानों के अतिरिक्त निम्नांकित चिकित्सा संस्थानो को सूचीबद्ध करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है :–

1. द मिशन हॉस्पिटल, दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल)
2. बी0 एम0 बिड़ला हार्ट रिसर्च सेंटर, कोलकाता

कृ0पृ0उ0

24/4/2014.

3. डाईसन हॉस्पिटल, कोलकाता
4. अपोलो ग्लेनीग्लस हॉस्पिटल, कोलकाता
5. मेडिका सुपर स्पेशियलिटि हॉस्पिटल, कोलकाता
6. फोर्टिस हॉस्पिटल,730 आन्दपुर ई0 एम0 बाईपास, रोड, कोलकाता
7. अमरी हॉस्पिटल, साल्ट लेक, कोलकाता
8. राम प्यारी आर्थो सेंटर, राँची
9. क्यूरी अब्दूल रज्जाक अंसारी कैंसर इंस्टिट्यूट, ईरबा, राँची
10. शिशिर सेना केन्द, जेल रोड़ राँची
11. कश्यप आई हॉस्पिटल, राँची
12. आलम हॉस्पिटल एवं रिर्सच सेंटर बुटी, रोड़ बरियातु राँची
13. श्री जगन्नाथ हॉस्पिटल एवं रिर्सच सेंटर बुटी, रोड, राँची
14. ब्राह्मनन्द नारायण हृदयालय, जमशेदपुर
15. इन्दिरा गाँधी इंस्टिट्यूट, ऑफ मेडिकल साइन्सेस, शेखपुरा, पटना
16. महाबीर कैंसर इंस्टिट्यूट, फुलवारी शरीफ, पटना।
17. अपोलो अस्पताल, भुवनेश्वर
18. एल0 वी0 प्रसाद आई इंस्टिट्यूट, भुवनेश्वर एवं हैदराबाद
19. अपोलो अस्पताल, हैदराबाद
20. नारायण हृदयालय हॉस्पिटल, बंगलोर
21. मेदान्ता मेडिसिटी, गुडगॉव, हरियाणा

3. परिपत्र संख्या-- 354(10) दिनांक 15.09.2006 की अन्य कंडिकायें यथावत रहेंगी।
4. इसमें वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।
5. यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

विश्वासभाजन,

22/2/2014

(वी0 के0 त्रिपाठी)
सरकार के प्रधान सचिव।